17/2017 - अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

धापां देवी बनाम हंसराज वगैरा

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 17/2017

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख |
|---|---|---|
| 07-02-17 | अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 4 कमलनयन कैवियटकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित।<br>अपीलांट के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुने जाने का निवेदन किया। कैवियटकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन इंतकाल सं0 582 दिनांक 6-2-17 विवादित है इसलिए हस्तगत अपील धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत होने से अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है इसलिए क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर अपील को खारिज किया जाना चाहिये।<br>अपीलांट के अधिवक्ता ने पुनः निवेदन किया कि वह अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 2-2-17 के विरूद्व नहीं आया है बल्कि दिनांक 6-2-17 का जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल के संबंध में पारित किया गया है, उसके खिलाफ अपील के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है। इसके खण्डन में कैवियटकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि अपीलाधीन इंतकाल अधीनस्थ न्यायालय के मूल आदेश दिनांक 2-2-17 की पालना में दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है जबतक मूल आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् प्रक्रिया से निरस्त नहीं कर दिया जाता तब तक अपीलाधीन इंतकाल को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2-2-17 में यह स्पष्ट किया है कि पटवारी हल्का 4 जैड की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि कुम्भाराम पुत्र रामचन्द्र के नाम खातेदारी दर्ज थी । उक्त भूमि पैतृक है। भूमि पैतृक होने के संबंध में उसके द्वारा फार्म नं0 3 के साथ दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है। भूमि पैतृक होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है। अतः क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर अपील को खारिज किया जाना चाहिये।<br>उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन भूमि इंतकाल सं0 29 दिनांक 25-6-38 के अनुसार लछमन,रामचन्द्र व रावत पिसरान किशन के नाम थी, जो रामचन्द्र के देहान्त के बाद जरिये उक्त इंतकाल लछमन वल्द किशन आधा हिस्सा, कुम्भा वल्द रामचन्द्र आधा हिस्सा एवं रावत के लाऔलाद फौत होने के कारण उसका हिस्सा लछमन व कुम्भा के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर तस्दीक किया गया है। इसकी पुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से होती है। जहॉ तक अपीलाधीन इंतकाल के विवादित होने का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थिया धापांदेवी के अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार अरोड़ा – श्री राजेशकुमार गुम्बर अधिवक्ता एवं रेस्पो0 सं0 4 कमलनयन कैवियटकर्ता के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बतरा उपस्थित हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अपीलाधीन इंतकाल सं0 582 जो मूल आदेश दिनांक 2-2-17 की पालना में पारित किया गया है इसलिए अपीलाधीन इंतकाल विवादित | |

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

होने के कारण सुनवाई का क्षेत्राधिकार भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत माननीय संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। भूमि पैतृक होने के कारण प्रथमदृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में नहीं होने से स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट क्षेत्राधिकार के बिन्दू पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

अपील दर्ज की जाकर, नम्बर से कम की जावे एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/12/17

(करतारसिंह पूनियां)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner